प्रेस विज्ञप्ति

09.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08.08.2024 को अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 14.08.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले के मामले में आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में आगे पता चला कि अनवर ढेबर वह दबंग व्यक्ति था जो शीर्ष नौकरशाह अनिल टुटेजा आईएएस के साथ मिलकर शराब सिंडिकेट चलाता था। इन दोनों ने ही पूरे घोटाले की योजना बनाई और अनिल टुटेजा आईएएस के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, अनवर ढेबर ने आबकारी विभाग में अपनी पसंद के अधिकारियों को तैनात किया और इस तरह वास्तविक आबकारी मंत्री बन गए। उन्होंने पार्ट-ए, बी, सी और एफएल-10 ए लाइसेंस धारकों से रिश्वत वसूली का पूरा रैकेट चलाया। उन्होंने सरकारी दुकानों से बेहिसाब अवैध शराब बेचने का अभूतपूर्व घोटाला किया। पार्ट-ए, बी, सी और एफएल-10 ए लाइसेंस के जरिए अर्जित अपराध की आय का एक-एक रुपया उनके प्रत्यक्ष कार्यों से अर्जित किया गया है।

ईडी की जाँच में अरुणपति त्रिपाठी ने खुलासा किया है कि सीएसएमसीएल दुकानों (जिसे पार्ट-बी कहा जाता है) के जरिए बेहिसाब शराब की बिक्री की नापाक योजना को लागू करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही श्री विधु गुप्ता के साथ मिलकर डुप्लीकेट होलोग्राम की आपूर्ति की व्यवस्था की थी। जाँच में पता चला है कि पार्ट-बी शराब की बिक्री से प्राप्त आय में से प्रत्येक केस के लिए एक निश्चित राशि अरुणपति त्रिपाठी को दी जाती थी।

ईडी की जाँच में पता चला है कि 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले में निम्न प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया:

• पार्ट-ए कमीशन: सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) द्वारा डिस्टिलर्स से खरीदी गई शराब के प्रत्येक केस के लिए रिश्वत ली गई।

• पार्ट-बी कच्ची शराब की बिक्री: बिना हिसाब-किताब के कच्ची देशी शराब की बिक्री। इस मामले में एक भी रुपया सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा और बिक्री की सारी रकम सिंडिकेट ने हड़प ली। अवैध शराब सरकारी दुकानों से ही बेची जाती थी।

• पार्ट-सी कमीशन: कार्टेल बनाने और बाजार में निश्चित हिस्सेदारी रखने के लिए डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई।

• विदेशी शराब क्षेत्र में भी कमाई के लिए पेश किए गए एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन।

ईडी की जाँच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय भरी गई।

इससे पहले, इस मामले में ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को भी गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले की चल रही जांच में ईडी ने पहले ही 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत लगभग 205.49 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।